चार एकड़ में सोलर प्लांट लगाएं, साल में 50 लाख कमाएं

धान-गेहूं की फसलों में फायदा नहीं तो खेत में पैदा करें बिजली, विद्युत उपकेंद्रों के आसपास लगाए जा रहे हैं सोलर पावर प्लांट

चंद्रभान यादव

लखनऊ। प्रदेश के जिन किसानों के पास विद्युत उपकेंद्रों के नजदीक जमीन है और उन्हें लगता है कि धान-गेहूं की खेती में फायदा नहीं है, तो वे सोलर प्लांट लगाएं। बिजली पैदा करें और हर साल 50 लाख रुपये कमाएं। इसमें सरकार भी सहयोग कर रही है। प्रदेश में इसकी शुरुआत हो गई है। अब तक एक किसान, एक कृषक उत्पादक संगठन सहित 22 लोगों ने प्लांट लगाने की मंजूरी ली है।

प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के तहत सोलराइजेशन का कार्य चल रहा है। इसके जरिये किसानों को भी सशक्त बनाने का प्रयास हो रहा है। योजना में एक तरफ किसानों को सोलर पंप दिए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ बिजली पैदा करने वाले किसानों को मुनाफा दिलाने की भी तैयारी है। इसके तहत एक मेगावाट के सोलर पावर प्लांट को स्थापित करने के लिए चार एकड़ जमीन की जरूरत होती है। यह जमीन विद्युत उपकेंद्र से पांच किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। संबंधित जमीन पर करीब चार करोड़ की लागत से सोलर पावर प्लांट स्थापित होगा। इसमें एक करोड़ पांच लाख केंद्र सरकार और 50 लाख रुपये राज्य सरकार आर्थिक सहयोग देगी। बाकी करीब 2.45 करोड़ प्लांट स्थापित करने वाले को लगाना होगा। इसमें भी सिर्फ 30 फीसदी रुपये जमा करने होंगे। शेष 70 फीसदी बैंक से ऋण लिया जा सकता है।

प्लांट से तैयार होने वाली बिजली 11 केवी ट्रांसमिशन के जरिये विद्युत उपकेंद्र तक जाएगी। संबंधित विद्युत वितरण निगम बिजली खरीदेगा। सालभर में करीब 17 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी, जिससे 50 से 53 लाख रुपये की आमदनी होगी। प्रदेश में अब तक 22 उपकेंद्रों के लिए परियोजना स्वीकृत हो चुकी है। इससे करीब 34.1 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी।

3300 मेगावाट का प्लांट लगाने की तैयारी

ग्रामीण क्षेत्र के करीब 900 उपकेंद्रों का चयन कर लिया गया है। अन्य की प्रक्रिया चल रही है। यूपीनेडा की ओर से जल्द ही 3300 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने की तैयारी है। इसके लिए करीब 15 हजार करोड़ की निविदा जारी की जाएगी। उपकेंद्रों पर कहीं एक तो कहीं तीन मेगावाट के प्लांट लगाए जाएंगे।

यह परियोजना 25 साल के लिए है। जिस खेत में सोलर पावर प्लांट लगेगा, उसका स्वामित्व संबंधित किसान का ही रहेगा।

लीज पर ली जाएगी जमीन

सिर्फ 25 साल के लीज पर जमीन ली जाएगी। इस प्लांट को लगाने के लिए कोई भी किसान अकेले अथवा किसान उत्पादक संगठन के रूप में या अन्य कोई भी कंपनी इसे लगा सकती है। यहां निविदा के जरिये प्लांट को मंजूरी दी जाएगी।

- प्लांट लगाने वाले को अपना भू स्वामित्व पत्र अथवा लीज पत्र देना होगा। आवेदन के लिए यूपीनेडा की वेबसाइट पर कुसुम योजना के विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।

किसानों को सशक्त बनाने का प्रयास

पीएम कुसुम योजना के जरिये किसानों को सशक्त बनाने का प्रयास है। इसके जरिये किसान सिर्फ एक किलोवाट से हर साल करीब 50 लाख रुपये कमा सकते हैं। खासतौर से उन जमीनों में ज्यादा फायदा है, जहां किसी कारणवश खेती नहीं हो रही है अथवा एक ही फसल ली जा रही है। सरकार की ओर से छूट और मूल लागत में बैंक से ऋण लेने का भी प्रावधान है। पहले चरण में 34.1 मेगावाट की स्थापना हो चुकी है। अब 33 हजार मेगावाट के प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। – **अनुपम मिश्र,** निदेशक यूपीनेडा

खेती में कितना होता है फायदा

संयुक्त निदेशक (कृषि) डॉ. आशुतोष कुमार मिश्र के मुताबिक अलग-अलग इलाके में कृषि उत्पाद से आमदनी की दर भी अलग-अलग होती है। यह मिट्टी की स्थिति, जलवायु, संसाधन, बाजार तक पहुंच आदि पर निर्भर करता है। फिर भी सामान्य तौर पर एक एकड़ खेत में धान में 10 हजार और गेहूं में 12 हजार की आमदनी होती है। इसी तरह सब्जी में एक से डेढ़ लाख, औषधीय खेती में तीन से चार लाख और मसाले की खेती में करीब तीन लाख रुपये की सालाना आमदनी हो सकती है। चार एकड़ की बात करें तो इसी दर से चार गुना हो जाएगी।